2.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र पूर्व ही सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा वांछित अनुतोष चाहा गया।

वकील प्रार्थी ने कथन किया किया कि वादगत भूमि माल ग्राम खैराबाद तह0 रामगंजमण्डी के ख.न. 719 की 0.08 है0 एवं ख.न. 3763/720 की रकबा 0.0629 है0 भूमि में आधा–आधा हिस्सा एवं ख.न. 724 की रकबा 0.04 है0 भूमि में वादी तथा प्रतिवादी नं. 4 का 1/4–1/4 हिस्सा एवं ख.न. 725 रकबा 0.14 है0 में अप्रार्थीगण कम 5 लगायत 8 मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

पटवारी हल्का ने हमें यह बताया कि इनके नक्शे में भूमि ज्यादा है तथा मेरे नक्शे में भूमि कम है। उक्त आराजी के ख.न. 719 एवं 720 की भूमि लगभग 0.2415 है0 कम दशाई हुई है। तथा इसके स्थान पर ख.न. 724 एवं 725 की भूमि नक्शे में 0.2415 है0 अधिक दशाई हुई है। जिसे शुद्व किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण 5 लगायत 8 उक्त वादगत भूमि का सौदा अन्य व्यक्ति को कर दिया है तथा उसका बेचान करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बढी हुई वादगत भूमि पर प्लाट काट दिये हैं। तथा बिना कनवर्ट कराये उक्त भूमि का प्लाट एवं नक्शा बनाकर बेचान कर रहै है।

अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि दौराने वाद उक्त वादगत भूमि ख.न. 719 व 720 को विकय दान,अन्तरण नहीं करें। तथा इस कृषि भूमि पर प्लाट नहीं काटें । किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें और न ही किसी कर्मचारी एजेन्ट से करावे। साथ ही वादी की सहमति के बिना किसी प्रकार का बेचान,रहन,प्लाटों की रजिस्ट्री आदि नहीं करावें

इसके विपरित वकील अप्रार्थीगण कम 5 लगायत 8 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वे अपनी कृषि भूमि में काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसका बेचान काफि समय पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा किया जा चुका है। वादगत भूमि की रजिस्ट्री भी अप्रार्थीगण के पक्ष में करवा चुके है। जिससे अप्रार्थीगण कम 5 लगायत 8 को उक्त भूमि के समस्त अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

उक्त वादगत भूमि कनवर्ट भी हो चुकी है। मूलवाद पेश करने के 7 महिने के बाद इन्होने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी. एक्ट.1955 पेश किया है। जमीन जमाबन्दी से बिकती है पहले प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों ही शामलाती रूप से प्रापर्टी का व्यवसाय करते थे। साथ–साथ ही भूमि खरिद कर प्लाटों का बेचान करते थे।

पारिवारिक कारणों के चलते अप्रार्थीगण बाहर अन्यत्र चले गये तथा वहीं पर रहने लग गये जिस कारण जिस कारण हमने जीन को केतागण को बेच दी है। उक्त वादगत भूमि की यदि वर्तमान जमाबन्दी देखी जाये तो उसमें खातेदार ही दूसरे आयेगें। यह प्रार्थीगण का न तो Prima facie केस है न ही सुविधाओं का संतुलन इनके पक्ष में है। यें पहले भूमि के पैमाईश करावें। इस प्रकरण में केवल 1 कुए का झगडा है जिसको अप्रार्थी कम 9 ने गलत दर्शा रखा है। अतः इनका प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात को देखा जाकर सम्यक विचार किया गया एवं बहस में किये गये कथनों का विवेचन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में अनुतोष प्राप्त करने हेतु मुख्यतः 3 बिन्दु विचारनीय हैं :–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :–

वादगत भूमि माल ग्राम खैराबाद तह0 रामगंजमण्डी प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के नाम शामलाती रूप में दर्ज रही हैं। इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया दोनों ही पक्षकारों के पक्ष में पाया जाता है।

2. सुविधाओं का संतुलन :–

प्रकरण में मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों ही काबिज हैं। अतः सुविधाओं का संतुलन भी दोनों ही पक्षो के हक में पाया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति :– प्रकरण में अप्रार्थीगण के हिस्से में भूमि ज्यादा दर्शा रखी है तथा प्रार्थी नक्शे में भूमि कम दर्शाई हुई है। अर्थात उक्त आराजी के ख.न. 719 एवं 720 की भूमि नक्शा में 0.2415 है0 कम दर्शाई हुई है तथा इसके स्थान पर ख.न. 724 एवं 725 की भूमि नक्शा में 0.2415 है0 अधिक दशाई हुई है और यही इस वाद का मुख्य कारण है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है, और यदि ऐसी दशा में उक्त वादगत भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन आधार पर उक्त वादगत भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम जर्ये बेचान/रहन/दान आदि किसी भी प्रकार से हस्तांतरित हो जाती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होनें के कारण प्रार्थना पत्र राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे दौराने वाद उक्त वादगत भूमि ख.न. 719 व 720 को किसी भी सूरत में विक्रय दान, अन्तरण नहीं करें तथा उक्त कृषि भूमि पर प्लाट नहीं काटें और ना ही उनका बेचान आदि करें। उक्त भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत न तो स्वयं करें और न ही किसी कर्मचारी एजेन्ट से करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को सुनाया गया।

अनिल कुमार सिंघल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)